कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्याः 325 /सी/प्राधि. दिनांक 22 नवम्बर, 2017

समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त
समस्त जिला गन्ना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः मा. न्यायालयों में योजित हो रहे/लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि मा. उच्च न्यायालय में योजित होने वाली याचिकाओं में विभाग का पक्ष सुदृढता से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। याचिकाओं की पैरवी हेतु पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं को वाद से सम्बन्धित सामग्री समयान्तर्गत उपलब्ध न कराये जाने के कारण मा. न्यायालय के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत नहीं हो पाती है, फलतः विभागीय अधिवक्ता प्रभावी ढंग से विभाग का पक्ष नहीं रख पाते हैं। सहकारी गन्ना समितियां स्ववित्त पोषित एवं स्वशासी संस्थाएं हैं, जिन्हें अपने प्रबन्ध व्यय का वहन अपने आय के मुख्य स्रोत गन्ना विकास कमीशन से ही करना होता है। कतिपय सहकारी गन्ना समितियां, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब है, जिसके कारण वे अपने सेवानिवृत कार्मिकों के देयों का समय से भुगतान नहीं कर पा रही हैं। समितियों की आर्थिक स्थिति खराब होने का मुख्य कारण पूर्व में आय से अधिक कर्मचारियों का तैनात होना, सामयिक कर्मचारियों को नियत वेतन के स्थान पर वेतनमान अनुमन्य कराया जाना, एवं समिति क्षेत्र की चीनी मिल बन्द हो जाने से गन्ना क्षेत्रफल एवं गन्ना उत्पादन का कम होना आदि है। गन्ना समितियों के स्ववित्त पोषित संस्थाएं होने के कारण धन की उपलब्धता के आधार पर ही सेवानिवृत कर्मचारियों के देयों का भुगतान किया जाता है। कतिपय गन्ना समितियों की आर्थिक स्थिति खराब होने के दृष्टिगत समयान्तर्गत भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों द्वारा मा. उच्च न्यायालय में वाद योजित किये जाते हैं। समिति की वास्तविक स्थिति मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने के कारण, मा. उच्च न्यायालय द्वारा समयबद्ध भुगतान के आदेश पारित कर दिये जाते हैं, जिसके कारण पहले से सेवानिवृत कर्मचारी को भुगतान प्राप्त नहीं होता है और बाद में सेवानिवृत कर्मचारी को मा. न्यायालय के आदेश के क्रम में भुगतान करना पडता है, जिससे न्याय की उम्मीद में भुगतान के लिए इन्तजार कर रहे कर्मचारी भुगतान पाने से बंचित रह जाते हैं।

जिन समितियों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सेवानिवृत कर्मचारियों के देयों का भुगतान अवरूद्ध है, में सेवानिवृत कर्मचारियों को वरिष्ठता अथवा समानुपातिक भुगतान न किये जाने के प्रकरण भी संज्ञानित हो रहे हैं। विभागीय समीक्षा बैठकों में आपको निर्देशित किया गया था कि, सेवानिवृत कर्मचारियों के सेवानैवृतिक देयों का भुगतान उसी

अनुपात में सुनिश्चित किया जाय जिस अनुपात में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। अतः सेवानिवृत कर्मचारियों जिनका भुगतान अवरूद्ध है, की सेवानिवृत होने की तिथि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में सूची तैयार करते हुए समिति में धन की उपलब्धता होने पर समानुपातिक रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जाय और समिति की विधिक एवं वित्तीय स्थिति से पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं को भी यथा समय अवगत कराया जाय।

अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि, विभिन्न न्यायालयों में योजित होने वाली याचिकाओं से सम्बन्धित सामग्री एवं ब्रीफ नोट तत्काल पैरवी कर रहे पैनल में नामित अधिवक्ता को सम्बन्धित सचिवों के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए उनसे लगातार सम्पर्क स्थापित कर वाद की प्रभावी पैरवी करना/कराना सुनिश्चित करें ताकि विभाग के पक्ष में सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके। यदि आपके अथवा समिति सचिव के स्तर से वाद से सम्बन्धित सामग्री एवं ब्रीफ नोट ससमय अधिवक्ता को प्राप्त न कराये जाने की शिकायत पैनल के अधिवक्ता से प्राप्त होती है और वाद का परिणाम विभाग के विरूद्ध जाता है, तो इसे सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की शिथिलता मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः / तद्दिनांक–

प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि., लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
3. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना समितियां,उ.प्र. को इस आशय से उपयुक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
4. मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्ड पीठ, लखनऊ के पैनल में नामित समस्त अधिवक्ताओं को इस आशय से कि, विभाग से सम्बन्धित रिट याचिकाएं प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुए वाद की पैरवी के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करते हुए वाद की प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आपकी बात को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है अथवा अभिलेख आदि उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें। वादों की प्रभावी पैरवी में आपकी दक्षता का आंकलन वाद के अन्तिम निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

22/11/17
(डा.वी.बी.सिंह)
संयुक्त गन्ना आयुक्त एवं सचिव,
राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण,उ.प्र.।